सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई की ओर से पेश रिपोर्ट में दर्ज विवरण बहुत भयानक है

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड डरावना

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों से कथित यौन हिंसा और बलात्कार पर पेश की गई सीबीआई रिपोर्ट में दर्ज विवरण को भयानक और डरावना करार दिया। मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को खोजने में हो रही देरी पर गुरुवार को राज्य और सीबीआई से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट में दर्ज विवरण को डरावना बताया। पीठ ने कहा, इसमें लड़कियों को नशीला पदार्थ देने सहित हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह बहुत ही भयानक है। आश्रय गृह में लड़कियों के दुष्कर्म और उनके यौन शोषण की घटनाओं की जांच में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम भी आया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया गया कि सीबीआई और बिहार सरकार के अनुसार चंद्रशेखर फरार है, लेकिन वह पटना में पत्नी के आवास पर देखे गए थे। इस पर पीठ ने बिहार सरकार और सीबीआई से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

दूसरी जेल में भेजने के लिए नोटिस

पीठ ने कहा कि सीबीआई के अनुसार बृजेश ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जेल में उसके पास मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बृजेश इस समय न्यायिक हिरासत में है। ऐसा लगता है कि उसे बिहार की जेल में रखना उचित नहीं होगा। इस पर पीठ ने बृजेश को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उसकी हिरासत किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दी जाए। पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही टीम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। इस मामले में न्यायालय अब 30 अक्तूबर को आगे विचार करेगा।

‘भत्ते के लिए विवाह का ठोस सबूत जरूरी नहीं’

नई दिल्ली | **श्याम सुमन**

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए विवाह होने का ठोस सबूत दिखाना जरूरी नहीं है।

यह कहते हुए सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी को गुजारा-भत्ता देने से मना कर दिया गया था। जस्टिस आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह फैसला पीड़ित महिला की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा- 125 के तहत की गई कार्यवाही में विवाह के ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि पत्नी के मौखिक साक्ष्य तथा उसके साथ दिए गए दस्तावेज इस बात को रेखांकित करते हैं कि उसका विवाह वैध है। गवाहों के बयानों से भी साबित होता है कि दोनों पक्ष पति-पत्नी की तरह रहे हैं पड़ोसियों ने उन्हें पति-पत्नी की तरह से माना। पीठ ने कहा कि धारा- 125 की कार्यवाही वैवाहिक विवादों की कार्यवाही के विपरीत है। वैवाहिक विवाद में शादी का ठोस-मानक सबूत देना जरूरी है। लेकिन धारा- 125 में इस तरह के साक्ष्य नहीं चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य महिला को अभावों से बचाना है।

फैसला

- पत्नी के मौखिक साक्ष्य वैध विवाह को रेखांकित करते हैं : सुप्रीम कोर्ट
- भरण-पोषण का प्रावधान महिला कल्याण का, इसे लागू किया जाए

यह था मामला : मोहन ने कमला से मंदिर में प्रेमविवाह किया था। उनके दो बच्चे हुए। इसके बाद मोहन ने सहकर्मी से विवाह किया। पूर्व पत्नी ने गुजारा-भत्ता मांगा तो उसने कहा वह उसकी पत्नी नहीं है। सेशन कोर्ट ने पत्नी को 3000 रुपये प्रतिमाह तथा बच्चों के लिए ढाई-ढाई हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का आदेश दिया था।

Bharti Airtel Limited

bharti | airtel

CIN: L74899DL1995PLC070609
Registered Office: Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II, New Delhi – 110 070, India
T.: +91-11-4666 6100, F: +91-11-4166 6137,
Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.airtel.in

I. Audited Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2018

(₹ Millions; except per share data)

S.No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2018	Six months ended September 30, 2018	Quarter ended September 30, 2017
		Audited	Audited	Audited
1	Total income	204,919	406,716	218,322
2	(Loss) / profit before exceptional items and tax	(18,535)	(21,385)	12,988
3	(Loss) / profit before tax	(19,984)	(26,455)	11,202
4	Profit for the period	2,492	7,288	5,861
5	Total comprehensive (loss) / income for the period	(3,872)	(6,919)	4,770
6	Paid-up equity share capital (Face value : ₹ 5/- each)	19,987	19,987	19,987
7	Other equity	668,817	668,817	675,704
8	Earnings per share (Face value : ₹ 5/- each)			
	a) Basic	0.30	0.54	0.86
	b) Diluted	0.30	0.54	0.86

II. Audited Standalone Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2018

(₹ Millions)

S.No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2018	Six months ended September 30, 2018	Quarter ended September 30, 2017
		Audited	Audited	Audited
1	Revenue	123,532	247,720	139,801
2	(Loss) / profit before tax	(20,349)	(43,573)	5,358
3	(Loss) / profit for the period	(5,623)	(20,195)	4,945

Note:
The above are extract of the detailed format of Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and six months ended September 30, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time). The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.airtel.in).

For **Bharti Airtel Limited**
Sd/-
Gopal Vittal
Managing Director and CEO (India & South Asia)
DIN: 02291778

Gurugram
October 25, 2018

मस्जिद का बार-बार उल्लेख कर फंस गए बुक्कल नवाब

विवाद

लखनऊ | **प्रमुख संवाददाता**

सपा छोड़कर भाजपा के एमएलसी बने बुक्कल नवाब गुरुवार को अयोध्या में मंदिर बनाने के मुद्दे पर अपने तर्क देने में ही उलझ गए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यसमिति की बैठक से वह बोले कि अयोध्या में अगर मस्जिद बन गई तो वहां नमाज़ पढ़ेगा कौन ? ऐसा बोलते ही उनके खिलाफ इतनी नारेबाजी हुई कि उन्हें माइक छोड़कर अपनी सीट पर बैठना पड़ा।

लखनऊ के विश्वेशरैय्या हाल में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में भाजपा एमएलसी बुक्कल नवाब ने अपने भाषण के दौरान अयोध्या प्रकरण पर कहा, ‘ सपोज़... सपोज़... सपोज़... विवादित स्थल पर मस्जिद बना भी दी जाए तो वहां नमाज पढ़ने कौन जाएगा ?’ उन्होंने मंच पर बैठी भाजपा नेत्री रुमाना सिद्दी से पूछा, रुमानाजी आप जाएंगी ऐसे स्थान पर नमाज पढ़ने ? माइक सम्भाले बुक्कल ने रुमाना सिद्दीकी से तीन बार जब यही सवाल किया तो रुमाना सिद्दीकी ने कह दिया कि औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की मनाही है।

विवादित जगह पर नमाज हराम, मंदिर बने : बुक्कल

बुक्कल ने कहा विवादित जगह पर नमाज नापाक मानी जाती है लिहाजा वहां अब केवल मन्दिर बनना चाहिए। इस्लाम में विवादित स्थलों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसे हराम माना जाएगा। उनकी ओर से बार-बार मस्जिद का उल्लेख किए जाने पर हाल में बैठे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता उठ खड़े हुए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एक कार्यकर्ता ने कहा कि जब मस्जिद का निर्माण हमारे एजेण्डे में ही नहीं है तो बार-बार मस्जिद निर्माण का नाम क्यों लिया जा रहा है। करीब 10 मिनट तक हंगामा होता रहा। इस बीच बुक्कल नवाब वापस सीट पर बैठ गए। वे थोड़ी देर बाद वे वहां से चले भी गए।

समाज को जोड़ने की राष्ट्रनीति पर यकीन: नकवी

इससे पूर्व बैठक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं बल्कि जोड़ने की राष्ट्रनीति पर यकीन करते हैं। हमारी सरकार का विकास का मसौदा, वोट का सौदा नहीं है जिसका नतीजा है कि पीएम मोदी एवं भाजपा के प्रति देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ा है। साढ़े चार साल में बीजेपी-एनडीए आठ राज्यों से बढ़कर 20 राज्यों में पहुंच गई हैं। दशकों से सेक्युलर सिंडिकेट की तुष्टिकरण की राजनीति ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के सशक्तिकरण का अपहरण कर रखा था।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23411411, **फैक्सः** 011-23472550,
सीआईएनः L74899DL1998PLC093073,
ई-मेलः investors@petronetlng.com, **वेबसाइटः** www.petronetlng.com

सूचना

सेबी (सूचीयन, दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियमों, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक, शुक्रवार 02 नवम्बर, 2018 को अप. 3.00 बजे, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन करने और (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर विशेष अंतरिम लाभांश की घोषणा करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110001 स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.petronetlng.com में तथा स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों यानी www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते **पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड**
(राजन कपूर)
उपाध्यक्ष - कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 अक्तूबर, 2018

भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्
द्वारा आयोजित
4 अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव

29–31 अक्टूबर 2018, सायं 6:30 बजे से
कमानी प्रेक्षागृह, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001
में आप सादर आमंत्रित हैं

कार्यक्रम

सोमवार, 29 अक्टूबर 2018
श्रीलंका से नाट्य कला मंदिर समूह
बांग्लादेश से धृति नर्तनालय

मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018
मलेशिया से भरतनाट्य नृत्य संघ
नेपाल से मिथिला अब्ध संस्कृति संरक्षण परिषद्

बुधवार, 31 अक्टूबर 2018
थाईलैंड से चियांग मई कालेज नाट्य कला समूह
वाराणसी, भारत से रुपवाणी समूह

निःशुल्क प्रवेश

पूछताछ के लिए 23379309

निमंत्रण पत्र आई सी सी आर कार्यालय, आज़ाद भवन, कमानी प्रेक्षागृह, कॉटेज एम्पोरियम जनपथ एवं दी बुकमार्क साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली से प्राप्त किये जा सकते है।